सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–11 वृहस्पतिवार, दिनांक–29 फरवरी, 2024 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:28 बजे अपराह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) अल्पसूचित प्रश्न संख्या 37 खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में स्थानान्तरित।
(iii) 24 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 28 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) 61 तारांकित प्रश्न अनागत।
(vi) तारांकित प्रश्न संख्या–1279 स्थानान्तरित।
(vii) तारांकित प्रश्न संख्या–1296 जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित।

प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों के कार्यावधि के संबंध में सदन में की गई घोषणा का अनुपालन नहीं होने के मुद्दे पर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा बार–बार उनसे अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ जाने का अनुरोध किया गया।

इसके उपरान्त माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो आज हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा करा कर तुरन्त कार्रवाई हो ये निदेशित कराने का काम करेंगे।

परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी अन्य मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

प्रश्नकाल के पश्चात विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण पुनः सदन में वापस आ गये।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

1. श्री अजय कुमार
2. श्री महा नंद सिंह
3. डॉ० निक्की हेम्ब्रम
4. श्री उमाकांत सिंह

5.	श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	6.	श्री बिजय सिंह
7.	श्री राम चन्द्र प्रसाद	8.	श्री मुरारी मोहन झा
9.	श्री राम सिंह	10.	श्रीमती भागीरथी देवी
11.	श्रीमती निशा सिंह	12.	श्रीमती कविता देवी
13.	श्री अजीत कुमार सिंह	14.	श्री अरूण शंकर प्रसाद
15.	श्री अनिल कुमार	16.	श्रीमती गायत्री देवी
17.	श्री अरूण कुमार सिंह	18.	श्री ललन कुमार
19.	श्री अचमित ऋषिदेव	20.	श्री जय प्रकाश यादव
21.	श्री रामबली सिंह यादव	22.	श्री संजय कुमार सिंह
23.	श्री विद्या सागर केशरी	24.	श्री विनय बिहारी
25.	श्री अरूण सिंह	26.	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
27.	श्री रणविजय साहू	28.	श्री अमरजीत कुशवाहा
29.	श्री विजय कुमार खेमका	30.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी
31.	श्री सुदामा प्रसाद	32.	श्री नीरज कुमार सिंह
33.	डॉ० रामप्रीत पासवान	34.	श्री पवन कुमार यादव
35.	श्रीमती रश्मि वर्मा	36.	श्री मोहम्मद अनजार नईमी
37.	श्रीमती ज्योति देवी	38.	श्री प्रणव कुमार

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

i. माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर एवं अन्य सभासदों से प्राप्त शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की माँग की गयी।

ii. माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद से प्राप्त ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04:55 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] आसन से अनुरोध :–

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 की धारा 04 की उप धारा 14(क)(iv) में शाब्दिक अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस प्रस्तावित उप धारा (iv) में अंकित (i) को (ii) के रूप में शुद्ध करते हुए इस रूप में सदन से पारित कराने का अनुरोध किया गया।

[6] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :–

(i) **बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(ii) **बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024**

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–06 एवं 18 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद दिया गया।

(iii) **बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024**

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृत के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(iv) **बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–02 एवं 03 में तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड–03 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(v) **बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–03 एवं 04 में तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड–04 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(vi) **बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम मे माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड–02 एवं 05 में तथा माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–03 एवं 05 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री शकील अहमद खाँ एवं श्री महबूब आलम द्वारा पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

सदन की सहमति से आज के लिए सूचीबद्ध कार्यो की समाप्ति तक सदन की कार्यवाही को विस्तारित किया गया।

(vii) **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री बिजेन्द प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–02, 03 एवं 04 में तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड–04 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(viii) **<u>बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024</u>**

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–02, 03 एवं 04 में तथा माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ का खंड–04 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के खण्ड 04 में एक संशोधन दिया गया है जिसमें खण्ड 04 के प्रथम पंक्ति में रोमन संख्या (i) के स्थान पर रोमन संख्या (ii) किये जाने का अनुरोध हैं। परन्तु माननीय मंत्री द्वारा इस आशय की सूचना पूर्व में ही सदन को दे दी गयी है कि यह एक शाब्दिक अशुद्धि है और इस प्रस्तावित उप धारा 04 में अंकित रोमन संख्या (i) को रोमन संख्या (ii) के रूप में माना जाय। अतएव इस शाब्दिक अशुद्धि को मानते हुए रोमन संख्या (ii) के रूप में पढ़े जाने की अनुमति दी जाती है। अब इसमें किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

तत्पश्चात सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(ix) **<u>बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024</u>**

माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–04 एवं 01 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्र द्वारा पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

(x) **बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024**

माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा का खंड–02 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्र द्वारा पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त " **बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024**" सदन से स्वीकृत हुआ।

|7| आसन की सूचना :–

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से आज दिनांक–29.02.2024 (वृहस्पतिवार) को संध्या 07:00 बजे से बिहार विधान मंडल परिसर में आयोजित बसन्तोत्सव एवं रात्रि भोज में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया।

|8| निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 40 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–01 मार्च, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–29.02.2024

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।